भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2396

उत्तर देने की तारीख - 04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

चेवेल्ला निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों के बीच संपर्क और नियोजन

2396. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना के चेवेल्ला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में या उसके आस-पास स्थानीय कौशल विकास केंद्रों और उद्योगों के बीच कोई सीधा संपर्क स्थापित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे संपर्कों के माध्यम से कितने अभ्यर्थियों को नौकरी प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए चेवेल्ला में निकटवर्ती औद्योगिक केंद्रों और आईटी गलियारों को मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी योजनाओं के अंतर्गत चेवेल्ला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने उक्त केंद्र वर्तमान में कार्यशील हैं; और

(ङ) क्या सरकार को इस निर्वाचन क्षेत्र के अल्पसेवित मंडलों में नए केंद्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) : कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षु संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के जरिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः-कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हे उद्योग-संबंधित कौशल से युक्त करना है। चेवेल्ला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) की संख्या निम्नानुसार है:

तेलंगाना में जिले	प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या		
	पीएमकेवीवाई	**एनएपीएस प्रतिष्ठान**	**सीटीएस**
रंगा रेड्डी	15	227	22
विकाराबाद	2	19	4
कुल	**17**	**306**	**26**

कौशल विकास के लिए एमएसडीई की योजनाएँ माँग-आधारित हैं और आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भावी कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और प्रशिक्षणार्थियों की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों के अग्रणी उद्योग के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करने का दायित्व सौंपा गया है।
ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भविष्य के लिए तैयार जॉब-रोलस, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के अंतर्गत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य के जॉब रोलस की माँग को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।
iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक विनियामक के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक स्थापित करेगा।
iv. मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।
v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।
vi. डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

vii. राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रमों में ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी शामिल हैं।

viii. एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग की मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों में सहयोग और समन्वय करते हैं।

ix. एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण तथा शिक्षुता कार्यक्रमों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सहभागिता बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।

x. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजना का कार्यान्वयन, यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक परियोजना है जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है।

xi. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

xii. स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल को कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में स्थापित किया गया है।

xiii. मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹60,000 करोड़ है (केंद्रीय हिस्सेदारी: ₹30,000 करोड़, राज्य हिस्सेदारी: ₹20,000 करोड़ और उद्योग हिस्सेदारी: ₹10,000 करोड़)। इस योजना के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग कौशल आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा, और उभरते क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करने और औद्योगिक मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए भविष्य के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है।

xiv. कौशल प्रशिक्षण प्रासंगिकता और परिणाम-आधारित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (एआईपी) के साथ साझेदारी में गठित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

*****